| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज<br>प्रथम अपील, आशीष छाडी बनाम लोक सूचना अधिकारी एंव(अति0जिला कलक्टर धौ0)<br>सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (मु0संख्या 08/2021) (जीसीएमएस न0 2021/12) | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये |
|---|---|---|
| 27-8-2021 | अपीलान्ट अनुपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अपीलान्ट ने यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा वाछित सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण पेश की है। लोक सूचना अधिकारी को अपील की प्रति भिजवाई जाकर उनसे टिप्पणी प्राप्त की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलक्टर धौलपुर ने अपने पत्र कमांकःसुगम/आरटीआई./2021/1240–41दिनांक 24.3.2021 के द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी/रिपोर्ट में अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर निम्न दो बिन्दुओं पर सूचना चाही गई थी :–<br>1–सन 2010 से 30 दिसम्बर 2020 तक का नया लाइसेंस व शस्त्रों के नवीनीकरण की पूर्ण जानकारी ।<br>2–2010 से 2020 तक कितने नये नाइसेंस बने है। उनकी पूर्ण जानकारी ।<br>प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) राजस्थान सरकार के परिपत्र कमांक प.3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 जयपुर दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या–3 के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। उक्त सूचना से इस कार्यालय के पत्र कमांक 672दिनांक 10.02.2021 से आवेदक को अवगत कराया जा चुका है। इसके अतिरिक्त यह भी निवेदन किया है कि आवेदक द्वारा चाही गई सूचना जारी शस्त्र अनुज्ञापत्रों से सम्बधित है, जो आवेदकों को उनकी सुरक्षा के मध्य नजर जारी किये जाते है। सूचना का अधिकार अधिनियम 8(1)(छ) में यह स्पष्ट किया है कि सूचना जिसको प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारिरिक सुरक्षा का खतरे में डालेगा या जो विधि प्रवलीन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के स्त्रोत की पहचान करेगा। ऐसी सूचना दिये जाने के लिए बाध्यता नहीं होगी।<br>अतः हमने लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी/रिपोर्ट का अवलोकन किया अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत बिन्दु संख्या 01, व 02 की चाही गई सूचना प्रश्नात्मक है। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना | |

का अधिकार प्रकोष्ठ) राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 जयपुर दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या–3 के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या प्रश्नो का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। उक्त सूचना से इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 672दिनांक 10.02.2021 से आवेदक को अवगत कराया जा चुका है। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा चाही गई सूचना जारी शस्त्र अनुज्ञापत्रों से सम्बधित है, जो आवेदकों को उनकी सुरक्षा के मध्य नजर जारी किये जाते है। सूचना का अधिकार अधिनियम 8(1)(छ) में यह स्पष्ट किया है कि सूचना जिसको प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारिरिक सुरक्षा का खतरे में डालेगा या जो विधि प्रवलीन या सुरक्षा प्रयोजनो के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के स्त्रोत की पहचान करेगा। ऐसी सूचना दिये जाने के लिए बाध्यता नहीं होगी।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार उक्त बिन्दुओं के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सकता। अतः प्रथम अपील, अपीलान्ट इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। प्रकरण में आगे कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति अपीलान्ट को उपलब्ध कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो नम्बर से कम की जावे।

(आर.के.जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर